भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3866

उत्तर देने की तारीख : 06.04.2022

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्रभारित राशि जमा न कराने के कारण केन्द्रीय विद्यालय द्वारा नाम काट दिए गए बालक

3866 # चौधरी सुखराम सिंह यादवः
श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
श्रीमती छाया वर्माः
श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में केन्द्रीय विद्यालय (केवी) द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्रभारित की जाने वाली राशि जमा न कराने के कारण कितने बालकों के नाम काटे गए हैं;
(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालय (केवी) द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बालकों के अभिभावकों से ली जा रही धनराशि के कारण निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है; और
(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंधों का पालन नहीं कर रहा है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान स्कूल सिस्टम दी गई सूचना के अनुसार फीस जमा नहीं करने वाले एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र ना लेने वाले बच्चों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	छात्रों की संख्या
1.	2019-20	11
2.	2020-21	277
3.	2021-22	543

(ख) और (ग) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय विकास निधि सहित कक्षा-आठवीं तक सभी प्रकार की फीस के भुगतान से छूट दी गई है।

****